

	(2) प्रदर्शन प्लेट (संख्या)	ज2000
	(3) वितरित किए गए मिनिक्विट (संख्या)	5000
	7. सामान्य कार्यक्रम:	
	(1) पौध रक्षण उपकरण का वितरण (संख्या)	300
	8. संतुति उद्यान	
	(1) प्रदर्शन-एवं संतुति उद्यानों की स्थापना तथा रख-रखाव	1
4. जड़ तथा कन्द्रीय फसलों का विकास	(1) प्रदर्शन (संख्या)	14
5. खुम्बी की खेती	(1) स्थान उत्पादन इकाईयां (संख्या)	1
	(2) पाश्चुरीकृत कम्पोस्ट इकाईयां (संख्या)	1
	(3) किसानों का प्रशिक्षण	25
6. पान की खेल का विकास	(1) संरक्षण स्थलियों का निर्माण (संख्या)	200
	(2) प्रदर्शन प्लेट (संख्या)	200
	(3) सिंचाई इकाईयों का विकास (संख्या)	25
	(4) पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण	102
7. काजू का विकास	(1) नए बागान (हैक्टेयर)	160
8. कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	(1) ड्रिप सिंचाई (संख्या)	291
	(2) ड्रिप प्रदर्शन (संख्या)	64
	(3) प्लास्टिक मलिनचंग (संख्या)	114
	(4) ग्रीन हाऊस (संख्या)	15

Provision of Generators in Kendriya Vidyalayas

2046. SHRI RAM NATH KOVIND
Will the Minister of HUMAN
RESOURCE DEVELOPMENT be
pleased to state:

(a) whether there was no light during school hours in Kendriya Vidyalayas of Shalimar Bagh, Lawrence Road, Pitampura and Sainik Vihar on 4th and 5th July, 1996;

(b) whether no teaching could take place in such Vidyalayas on these days due to non-working of ceiling fans;

(c) whether such situation affected the availability of drinking water badly in the concerned Vidyalayas;

(d) whether the students had to get drinking water from the nearby houses;

(e) whether Government propose to provide generators in Kendriya Vidyalayas to ensure that teaching hours are not wasted; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Due to load shedding by Delhi Electric Supply Undertaking there have been frequent interruptions of power supply on these two days.

(b) Teaching took place without interruption.

(c) and (d) No, Sir.

(e) and (f) Due to paucity of funds it has not been possible to make alternative arrangement for power supply in all Kendriya Vidyalayas.

फसल बीमा योजना

2057. श्री राम जेठमलानी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार फसल बीमा योजना का विस्तार करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है, और नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) जी, हां।

विद्यमान योजना में एक संशोधन सरकार के विचाराधीन है ताकि प्रीमियम दरों को संगत बना कर तथा फसलों और किसानों की कवरेज को बढ़ा कर उसे व्यवहार्य बनाया जा सके। संशोधित योजना को अंतिम रूप दिये जाते ही उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

Rail Car/E.M.U. between Dibrugarh and Tinsukia

2058. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether rail car used to run between Dibrugarh and Digboi on Dibru-Sadiya Railway during pre-Independence era had good patronage and popularity; if so, periods during which it used to run and its frequency; and

(b) whether Government propose to introduce rail car or diesel multiple unit shuttle between Dibrugarh and Tinsukia after completion of gauge conversion in the current year in view of heavy traffic potential between these towns, if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) Rail car/EMU shuttle between Dibrugarh and Tinsukia after gauge conversion, are not proposed in the current year due to operational/technical/resource constraints.

केन्द्रीय विद्यालय की भर्तियों में आयु सीमा में छूट

2059. श्री शिव चरण सिंह:

श्री गोविन्दराम मिरी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सीधी भर्ती करते समय कुछ पदों के संदर्भ में तो विभागीय अभ्यर्थियों को आयु की उच्चतम सीमा में छूट दी जाती है; किन्तु सभी पदों के संदर्भ में यह छूट नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पवयव्यवस्था भारत सरकार की तत्संबंधी नीति एवं निर्देशों के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो संबद्ध प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया):

(क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि शासी बोर्ड ने प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा अधिकारी के पद को